

पत्र संख्या : 7ब/4701 योज०सं० 07/2013

30

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 1-6-13

विषय :-

मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोग, उप शीर्ष-73-मध्यम सिंचाई परियोजना ए.आई.बी.पी. (चालूयो.) (अति केन्द्रीय अनुदान), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180796730545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-2014 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोग / 73-मध्यम सिंचाई परियोजना ए. आई. बी. पी. (चालूयो.) (अति केन्द्रीय अनुदान)	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड -49P470180796730545	537.50

आवंटित राशि - ₹ पाँच करोड़ सैतीस लाख पचास हजार मात्र ।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध रु. 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति (परिशिष्ट -1 के स्तंभ 6 में वर्णित) एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. **AIBP** योजनाओं के लिए **MOU** में भारत सरकार द्वारा अंकित शर्तों से संबंधित सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही तत्संबंधी प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जाय।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

30

राँची, दिनांक :-

1-6-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिन्डू राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/गुमला/सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

30

राँची, दिनांक :-

1-6-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) राँची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक—यथोक्त।

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)

उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)

विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)

प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक 30

दिनांक 1-6-13

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोगना

उपशीर्ष- 73-मध्यम सिंचाई परियोजना ए. आई. बी. पी.(चालूयो.) (अति केन्द्रीय अनुदान)

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180796730545

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट उपबंध 1500.00 लाख (रु पन्द्रह करोड़) मात्र।

(राशि लाख रु में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्र० स्वी० की राशि एवं प्रसंग	मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति कार्य विवरण
						पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जल पथ प्रमंडल राँची	राँची	सुकरी जलाशय योजना	रु० 935.00 लाख पत्रांक 32 / 07-08 - प्र.स्वी. दि. 11.09.07	522.007	0.00	194.35	194.35	Construction of dam, spillway, outlet, left canal including its allied structure along with land acquisition.
योग						0.00	194.35	194.35	
2	जल पथ प्रमंडल गुमला	राँची	अपर शंख जलाशय योजना	रु० 14119.00 लाख पत्रांक 46 / 06-07 - प्र.स्वी. दि. 30.03.2007	13774.130	0.00	20.00	20.00	Repair of Left and right outlet gates
						0.00	0.15	0.15	Construction of clvert, approach road & repair of slope of dam
						0.00	1.00	1.00	R/M of I/V 2Nos
योग						0.00	21.15	21.15	
3	जल पथ प्रमंडल सं०-1, चैनपुर, गुमला	राँची	अपर शंख जलाशय योजना	रु० 14119.00 लाख पत्रांक 46 / 06-07 - प्र.स्वी. दि. 30.03.07	13774.130	0.00	50.00	50.00	Right Main Canal Balance work of E/W Lining ,Boulder Pitching ,Catch drain,Structure and commissioning of canal from 0.00kmt to 13.11km
						0.00	100.00	100.00	Balance work of E/W Structure of 5 Nos .Distributores off taking from 1.41,2.79,3.84,4.95, 7.68 km of right main
									Left Main Canal Balance work of E/W Structure of 3 Nos .Distributores off taking from 7.00&8.65 km of left main canal.
						0.00	45.00	45.00	
						0.00	1.00	1.00	R/M of I/V 2Nos
योग						0.00	196.00	196.00	0.00

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

470180796730545

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्र० स्वी० की राशि एवं प्रसंग	मार्च 2013 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन			अभ्युक्ति
						पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	कार्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	जल पथ प्रमंडल सं०-2,चैनपुर, गुमला	राँची	अपर शंख जलाशय योजना	रु० 14119.00 लाख पत्रांक 46/ 06-07 - प्र.स्वी. दि. 30.03.2007	13774.130				Left Main Canal
						0.00	100.00	100.00	Balance work of E/W, Structure , protection work ,Syphon repair & Commissioning of Left Main Canal from 0.00 to 14.04km.
						0.00	25.00	25.00	Balance work of E/W, Structure of 4 Nos.Minors off taking from 3.67,10.30,12.64,&14.04 km of Left Main Canal..
						0.00	1.00	1.00	R/M of I/V 2Nos
योग						0.00	126.00	126.00	
सकल योग						0.00	537.50	537.50	
आवंटित राशि -रू पाँच करोड़ सैतीस लाख पचास हजार मात्र ।									

31.05/13
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

31.05/13
(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव(अभि०)

31.05/13
(सुबोध कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव (अभि०)

31.05/13
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

31.05/13
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव।